प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दंण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला **जयपुर** थाना **प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर** वर्ष **2022** प्र0इ0रि0 सं. 43/22 दिनांक 15/2/22

2. (I) अधिनियम ...**पी0सी0 एक्ट 1988 व 2018**..... धारायें. 13(1)(ई)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम तथा धारा 13(1)(बी)सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम एक्ट

   (II) * अधिनियम ...भा0द0स0 ... . धारायें .....

   (III) * अधिनियम ..... धारायें .....

   (IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 305 समय 1.45 P.M.

   (ब) अपराध घटने का दिन ..... समय

   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – . . .. समय– .. . पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक अपराध संख्या 300 / 2021

5. घटनास्थलः– –

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः– –

(ब) पता– विला नम्बर 336, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर बीट संख्या..... जयरामदेही सं.....

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–

   (अ) नाम :– प्रकरण संख्या 300 / 2021 में हुई खाना तलाशी में प्राप्त सूचना के आधार पर,

   (ब) पिता / पति का नाम –

   (स) जन्म तिथी / वर्ष –

   (द) राष्ट्रीयता .....भारतीय.....

   (य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .
   जारी होने की जगह .....

   (र) व्यवसाय– –

   (ल) पता–

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : –

   1 श्री **हसंराम कसाना (एचआर कसाना)** पुत्र श्री जयमल कसाना निवासी– प्लाट नं. 06, दुर्गा विहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, विला नम्बर 36, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–.... कोई नहीं.

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य ....

11. पंचनामा / यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

हालात निवेदन है कि दिनांक 29.07.2021 को श्री परमेश्वर लाल, तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भरतपुर द्वारा विश्वसत सूत्रों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्री एचआर कसाना, तत्कालीन प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर, राजस्थान के कार्यालय की आकस्मिक चैकिंग ली जाकर आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) के कब्जे से

1,50,000/–की रिश्वती राशि बरामद कर ब्यूरो मुख्यालय पर उक्त आरोपी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 300/2021 दर्ज करवाया गया। उक्त आकस्मिक चैंकिग के क्रम में आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) के निवास स्थान विला नम्बर 36, साउथ एक्स, टोंक रोड़, नियर रिंग रोड़, शिवदासपुरा जयपुर की खाना तलाशी श्री सुरेश कुमार स्वामी, उप अधीक्षक पुलिस, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर तृतीय जयपुर द्वारा ली गई। आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना), तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर के निवास स्थान की खाना तलाशी के दौरान प्रॉपर्टी दस्तावेज, एग्रीमेन्ट सम्बंधी दस्तावेज, व्यक्तियों को राशि उधार दिये जाने के सम्बंध में सादा कागजों/शपथ पत्रों आदि से सम्बंधित दस्तावेजात तथा विभिन्न व्यक्तियों को उधार दिये जाने पर उनसे बातैर सिक्यूरिटी पेटे लिये गये विभिन्न बैंकों के अपने नाम से लिये हुये चैक्स/इकरारनामा से सम्बंधित दस्तावेजात मिले, उनको गहनता से अवलोकन कर सम्बंधित बैंक/विभाग आदि से रिपोर्ट तलब कर एवं आरोपी श्री हसंराम कसाना (एचआर कसाना) द्वारा आहरित वेतन सम्बंधित रिपोर्ट प्राप्त कर जांच की गई।

जांच के दौरान आरोपित के विभाग राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर से प्राप्त सूचना से पाया गया कि आरोपित अधिकारी दिनांक 21.08.1991 को जुनियर इंजिनीयर के पद पर पदस्थापित हुआ तथा उसके बाद लगातार विभाग में ही कार्यरत रहा है। दिनांक 29.07.2021 को आरोपित अधिकारी उक्त विभाग में क्षैत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, भरतपुर के पद पर पदस्थापित होना पाया गया।

आरोपी के निवास स्थान पर मिले दस्तावेज के आधार पर आरोपी अधिकारी द्वारा प्राप्त परिसम्पतियों/निवेश/खर्चो इत्यादि बाबत अब तक निम्न प्रकार वस्तुस्थिति प्रकट हुई है:–

1:– ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय

क्रम संख्या	ज्ञात स्त्रोतो से अर्जित आय	अनुमानित लागत/आय
1	आरोपित की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1991 से दिनांक जुलाई 2021 तक वेतन में से राज्य बीमा, जीपीएफ, आरपीएमएफ, आयकर एवं अन्य कटोतियों के बाद वेतन से प्राप्त शुद्व आय 12,98,151/–रूपये की आय मद में गणना की जाती है।	11461156
2	आरोपित द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आरएसीपीसी, जयपुर से 25.20 लाख रूपये का एजुकेशन लॉन लिया गया है। उक्त राशि आय में माना जाना उचित है।	2520000
3	आरोपित द्वारा वर्ष 2020 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन में अपनी अलग–अलग परिसम्पतियों से वार्षिक आय क्रमशः 10,000+35,000+40,000+6000 रूपये दर्शाई गई है। जिसमें से 10,000/– रूपये अपने पिताजी के नाम भूखण्ड की दर्शाई गई है। जिसे उक्त आय में से कम करने पर आरोपित को कुल आय 81,000/– रूपये प्राप्त होना पाया गया है। जिसकी गणना आरोपित की आय में की जाती है।	81000
4	आरोपित द्वारा वर्ष 2021 के विभागीय सम्पति विवरण में अपनी परिसम्पतियो से कुल 5,75,000/– रूपये प्राप्त होना दर्शाया गया है। चूंकि आरोपित द्वारा अपने आयकर में अपनी परिसम्पतियों से आय को दर्शाया नहीं है। इसलिये उक्त आय में से आरोपी के मकानों से प्राप्त आय को अलग किया जाकर आरोपी को कृषि से प्राप्त आय की गणना आरोपी की शुद्ध आय में की जाती है जो कुल 5,20,000/– रूपये प्राप्त होना ज्ञात हुआ है। जो आरोपी के वर्ष 2021 के सम्पति विवरण से स्पष्ट है।	5,20,000
	योग	**1,45,82,156**

2:– खर्चा

क्रम संख्या	खर्चा	अनुमानित खर्चा
1	आरोपित की राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 21.08.1991 से दिनांक 29.07.2021 तक मिले वेतन, भत्तो में से एलआईसी,	3820385

	जीपीएफ, पीएमएफ, राज्य बीमा, आयकर आदि कटोतियां करने पर शेष रही आय 1,14,61,156/– रूपये का 1/3 हिस्सा असत्यापन योग्य 38,20,385 /–रूपये कम करने पर उक्त राशि का व्यय मद में गणना की जाती है।	
2	आरोपित श्री एचआर कसाना द्वारा अपनी परिसम्पतियों पर विधुत/पानी कनेक्शन व विद्युत खर्च करना पाया गया। चूंकि आरोपित की लगभग सम्पूर्ण परिसम्पतियों पर विधुत कनेक्शन की सुविधाऐं है। आरोपित द्वारा अपनी परिसपतियों पर चैक पीरीयड के दौरान विधुत कनेक्शन व विद्युत खर्च पर ज्ञात स्त्रोतों से अनुमानित तौर पर कुल 5,00,000/– रूपये का व्यय किया जाना पाया गया। अतः उक्त राशि 5,00,000/–रूपये आरोपी के व्यय मद में गणना की गई है।	500000
3	मुताबिक फर्द आरोपित द्वारा अपनी पुत्रीयों ज्ञानवी, पल्लवी तथा पुत्र श्री अभिमन्यु को उच्च/इंजीनियरिंग/आर्किटेक्ट आदि की शिक्षा दिलवाई गई है। ज्ञात स्त्रोंतों से पता चला है क आरोपित द्वारा अपने बच्चों की पढाई लिखाई पर अच्छा खासा व्यय किया गया है। चैक अवधि के दौरान आरोपित द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर ज्ञात स्त्रोंतों के अनुसार अनुमानित तौर पर 20,00,000/– रूपये व्यय किया जाना पाया गया है। अतः आरोपित द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा पर किये गये अनुमानित खर्च 20,00,000/–रूपये आरोपी के व्यय मद में गणना की गई है।	2000000
4	आरोपित श्री एचआर कसाना की प्रकरण सं0 300/2021 की आकस्मिक चैकिंग दिनांक 29.07.2021 को आरोपित के कब्जे से बरामद कार नं0 आरजे 14 एलसी 5566 बरामद हुई है उक्त वाहन का उपयोग आरोपित पिछले एक साल से करना पाया गया है। ज्ञात स्त्रोंतों से इस वाहन से पूर्व में आरोपित द्वारा अन्य वाहन का उपयोग करना पाया गया है। फर्द में किलोमीटर का इन्द्राज अंकित नहीं किया। अतः अनुमानत वाहन पैट्रोल खर्च, रखरखाव, बीमा आदि पर पर कुल 50,000/–रू. खर्च को व्यय मद में जोड़ा गया है।	50000
5	आरोपित द्वारा फर्द खाना तलाशी के दौरान अपने तीनों बच्चों की शादी करना बताया गया है। आम तोर पर छोटा–मोटा खर्चा लड़के/लडकी वालों की तरफ से व्यावहारिक तौर पर होता है। इस प्रकार आरोपित द्वारा अपने तीनों बच्चों की शादी पर व्यवहारिक तौर पर अनुमानतः मानते हुए 5,00,000/– रूपये प्रत्येक के विवाह का खर्च मानते हुए कुल अनुमानित 15,00,000/–रूपये की गणना आरोपित के व्यय मद में की जाती है।	1500000
6	प्रकरण सं. 300/2021 में आरोपित की आकस्मिक चैकिंग में उसके किराये के मकान से आरोपित के नाम अरोडा टायर, सिंधी कोलोनी, शान्तिपथ जयपुर से टायर खरीदने का बिल प्राप्त हुआ है। जिसके अवलोकन से आरोपित द्वारा उक्त फर्म से 21,000/– रूपये के टायर खरीदना पाया गया है। इस प्रकार उक्त राशि 21,000/– रूपये की गणना आरोपित के व्यय मद में की जाती है।	21000
7	प्रकरण सं. 300/2021 में आरोपित की आकस्मिक चैकिंग के दौरान आरोपी के निवास से जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की रसीद सं0 0466451 प्राप्त हुई है। जिसके पोलीसी नम्बर 191612213 है। जिसमें इन्स्टॉलमेंट वर्ष 1999 से हो रहा है। उक्त पोलीसी में 06/2021 का प्रिमीयम 9568/– रूपये का आरोपित द्वारा जमा करवाया गया है। अतः उक्त खर्च राशि 9568/– रूपये की गणना आरोपित के व्यय मद में की जाती है।	9568
8	प्रकरण सं. 300/2021 में आरोपित की आकस्मिक चैकिंग के दौरान आरोपी के निवास से फर्म बालाजी इलेक्ट्रोटेक से कूलर खरीद की रसीद जिसके इनवॉइस नम्बर 2351 दिनांक 31.03.2021 जो आरोपित	5500

	के नाम से जारी है। अतः उक्त के खर्च राशि 5,500/– रूपये की गणना आरोपित के व्यय मद में की जाती है।	
9	प्रकरण सं. 300/2021 में आरोपित की आकस्मिक चैकिंग के दौरान लगभग 10,000/– रूपये की कीमतन सामान/वस्तु आदि प्राप्त हुये है। दौराने आकस्मिक चैकिंग आरोपी भरतपुर में किराये के मकान में निवासरत है। जिसका अनुमानित तौर पर 2000/– रूपये मासिक भुगतान किया जाना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी द्वारा पिछले एक वर्ष में 24,000/– रूपये अनुमानतः बतौर किराये पर खर्च करना पाया गया। इस प्रकार आरोपित द्वारा किया गया कुल खर्च 34,000/– रूपये की गणना आरोपित के व्यय मद में की जाती है।	34000
10	आरोपी के मकान की खाना तलाशी दिनांक 30.07.2021 में पाये गये सामान/वस्तु की कुल कीमत 4,00,208/– रूपये होना पाई गई है जो आरोपित द्वारा खर्च किया गया है।	400208
11	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 27.06.2021 को जरिये शपथ पत्र/करारनामा (प्रोमिसरी नोट) श्री हंसराज गुर्जर पुत्र श्री बद्री नारायण गुर्जर को नगद 3,00000/– रूपयें उधार दिये गये जिसकी बतौर सिक्यूरिटी आईसीआईआई बैंक का एक खाली चैक श्री हसंराम गुर्जर द्वारा हस्ताक्षरशुदा प्राप्त किया। इसी क्रम में दिनांक 06.06. 2021 को श्री हंसराज गुर्जर द्वारा आरोपी श्री एचआर कसाना से जरिये करारनामा/शपथ पत्र 1,00000 रूपयें उधार लिए गए। जिसकी बतौर सिक्यूरिटी पेटे हंसराज द्वारा एक हस्ताक्षरशुदा खाली चैक तथा प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज प्राप्त किये गये। इसी प्रकार दिनांक 10.05.2021 को श्री हंसराज गुर्जर द्वारा आरोपी श्री एचआर कसाना से 3,00000/–लाख रूपयें निजी कार्य हेतु जरिये करारनामा/शपथ पत्र उधार लिए गए तथा जिनकी सिक्यूरिटी पेटे खाली चैक व प्रॉपर्टी संबंधी दस्तावेज गिरवी रखे गये। उक्त करारनामा/शपथ पत्र सादे कागज पर किये गये है। इस प्रकार आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री हंसराज गुर्जर एवं अन्य को कुल 7,00,000/–रूपये उधार दिये गये। इस प्रकार आरोपी द्वारा 7,00,000/–रूपयें का उधारी हेतु खर्च किया जाना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः नहीं लौटाई गई। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	700000
12	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 30.12.2017 को जरिये शपथ (प्रोमिसरी नोट) पत्र श्रीमती अनु चौधरी पत्नी श्री राजकुमार निठारवाल को 13,00,000/–रूपये निजी कार्य हेतु सहायतार्थ उधार दिया गया है। जिसकी एवज में श्रीमती अनु चौधरी से हस्ताक्षरशुदा 13,00,000/–रूपये का स्वंय के नाम का एसबीबेजे बैंक एक चैक नम्बर 658194 तथा श्रीमती अनु चौधरी के प्लाट का पट्टा गिरवी लिया गया है। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। इसके अलावा भी शपथ पत्र व खाली चैक बरामद हुए है परन्तु वह श्री जयमल कसाना, श्री मदनलाल गुर्जर आदि के नाम से है।	1300000
13	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 04.06.2018 को श्री दुल्हेराम मीणा से सादे कागज (प्रोमिसरी नोट) पर 9,00,000/–रूपये उधार दिया जाना तथा उक्त उधारी के एवज में श्री दुल्हेराम मीणा से	1000000

	हस्ताक्षर शुदा अपने नाम का एक चैक जिसमें 9,00,000/–रूपये की राशि भरी हुई है। इसी प्रकार दिनांक 04.06.2018 को ही श्री दुल्हेराम मीणा को सादे कागज पर लिखावट/ईबारत कर 1,00,000/–लाख रूपये उधार देना तथा उसके एवज में श्री दुल्हेराम मीणा का हस्ताक्षरशुदा एक चैक जिसमें 1,00,000/–राशि भरी हुई है। इस प्रकार कुल 10 लाख रूपये व्यय में माना जाना उचित रहेगा। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है।	
14	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 16.10.2016 को श्री नयनसुख कसाना को उसके निजी कार्य हेतु 9,50,000/–रूपयें उधार दिया जाना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री नयनसुख कसाना का हस्ताक्षरशुदा एक चैक संख्या 000130 (बैंक आफ बडौदा) जिसमें 9,50,000/–रूपये की राशि भरी हुई, अपने नाम से लिया जाना तथा श्री नयनसुख कसाना की बीमा पॉलिसी (एलआईसी) की मूल प्रति।	950000
15	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 03.08.2017 को श्री वीरेन कुलहरि को 1,50,000/–रूपये जरिये इकरारनामा/रसीद (सादा कागज पर) उधार दिया जाना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री कुलहरि से एसबीआई बैंक का चैक संख्या 050388 हस्ताक्षरशुदा जिसमें 1,50,000/–की राशि भरी हुई तथा अरोपी श्री एचआर कसाना का नाम अकिंत किया हुआ, प्राप्त करना।	150000
16	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 21.07.2011 को जरिये इकरारनामा (प्रोमिसरी नोट) श्री दुल्हेराम मीणा को 10,00,000/–रूपयें उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री दुल्हेराम का हस्ताक्षरशुदा बैंक ऑफ बडौदा का चैक संख्या 500023 जिसमें 12,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा आरोपी श्री एचआर कसाना के नाम जारी, प्राप्त करना पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 30.05.2012 को जरिये इकरारनामा श्री दुल्हेराम मीणा को 10,00,000/–रूपयें उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री दुल्हेराम का हस्ताक्षरशुदा यूनियन बैंक का चैक संख्या 045718 जिसमें 10,20,000/–रूपयें की राशि भरी हुई, प्राप्त करना पाया गया। इसी प्रकार दिनांक 26.04.2011 को जरिये इकरारनामा श्री दुल्हेराम मीणा को 5,00,000/–रूपयें उधार देना पाया गया। इस प्रकार कुल 2500000 रूपये व्यय में माना जाना उचित रहेगा।	2500000
17	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 10.02.2019 को जरिये शपथ पत्र (प्रोमिसरी नोट) श्री जगदीश चौधरी पुत्र श्री रामनारायण चौधरी को सादा कागज पर 11,00,000/–रूपये निजी कार्य हेतु सहायतार्थ उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री जगदीश चौधरी की पत्नी श्रीमती सीता का स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का हस्ताक्षरशुदा एक खाली चैक संख्या 562820 जिसमें 15,00,000/–रूपये की राशि भरी हुई तथा श्रीमती सीमा देवी के नाम प्लाट के पट्टे की मूल प्रति प्राप्त करना पाया गया।	1100000
18	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 06.04.2019 को जरिये इकरारनामा (प्रोमिसरी नोट) श्री दुल्हेराम मीणा को 30,00,000/–रूपयें मार्फत श्री रामबाबू चोपडा व श्री राजू निठारवाल के उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री दुल्हेराम का हस्ताक्षरशुदा यूनियन बैंक का चैक संख्या 036135 जिसमें 30,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का	30,00000

	कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	
19	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 10.06.2019 को जरिये अण्डर टेकिंग (प्रोमिसरी नोट) श्री सक्षम छाबडा को 5,00,000/–रूपयें उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री सक्षम छाबडा का हस्ताक्षरशुदा आईडीबीआई बैंक के खाता सं0 0298104000093709 का चैक संख्या 137404 जिसमें 5,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	500000
20	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 12.01.2020 को जरिये अण्डर टेकिंग (प्रोमिसरी नोट) श्री रमेश धनवानी को 25,750/–रूपयें उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री रमेश कुमार धनवानी का हस्ताक्षरशुदा पीएनबी बैंक के खाता सं0 3953000100119116 का चैक संख्या 087639 जिसमें 25,750/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, एच आर कसाना द्वारा सादे कागज पर दिनांक 31.12.2020 को उक्त पैसे नहीं लेने सम्बंधी इबारत लिखी हुई है तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	25750
21	मुताबिक खाना तलारशी फर्द आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री गोपाल चोपडा को दी गई उधार राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी श्री गोपाल चोपडा का हस्ताक्षरशुदा आईसीआईसी बैंक के खाता सं0 001201533194 का चैक संख्या 003821 जिसमें 5,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। चूंकि फर्द में उक्त चैक उधार दिये गये व्यक्ति से सिक्यूरिटी पेटे लिया जाना बताया गया है इसलिये उक्त चैक भी श्री गोपाल चोपडा का दी गई उधार राशि के एवज मे बतौर सिक्यूरिटी लिया जाना माना गया। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	500000
22	मुताबिक खाना तलारशी फर्द आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री	1500000

	गोपाल चोपडा की फर्म चोपडा मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर को दी गई उधार राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी श्री गोपाल चोपडा (फर्म) का हस्ताक्षरशुदा बैंक आफ बडौदा के खाता सं0 24590400000047 का चैक संख्या 000605 जिसमें 15,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। चूंकि फर्द में उक्त चैक उधार दिये गये व्यक्ति से सिक्यूरिटी पेटे लिया जाना बताया गया है इसलिये उक्त चैक भी श्री गोपाल चोपडा का दी गई उधार राशि के एवज मे बतौर सिक्यूरिटी लिया जाना माना गया। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	
23	मुताबिक खाना तलारशी फर्द आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री गोपाल चोपडा की फर्म चोपडा मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर को दी गई उधार राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी श्री गोपाल चोपडा (फर्म) का हस्ताक्षरशुदा बैंक आफ बडौदा के खाता सं0 24590400000047 का चैक संख्या 000610 जिसमें 20,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। चूंकि फर्द में उक्त चैक उधार दिये गये व्यक्ति से सिक्यूरिटी पेटे लिया जाना बताया गया है इसलिये उक्त चैक भी श्री गोपाल चोपडा का दी गई उधार राशि के एवज मे बतौर सिक्यूरिटी लिया जाना माना गया। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	20,00000
24	मुताबिक खाना तलारशी फर्द आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री गोपाल चोपडा की फर्म चोपडा मेडिकल एण्ड प्रोविजन स्टोर को दी गई उधार राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी श्री गोपाल चोपडा (फर्म) का हस्ताक्षरशुदा बैंक आफ बडौदा के खाता सं0 24590400000047 का चैक संख्या 000626 जिसमें 12,86,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। चूंकि फर्द में उक्त चैक उधार दिये गये व्यक्ति से सिक्यूरिटी पेटे लिया जाना बताया गया है इसलिये उक्त चैक भी श्री गोपाल चोपडा का दी गई उधार राशि के एवज मे बतौर सिक्यूरिटी लिया जाना माना गया। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के	12,86,000

	व्यय मद मे की जाती है।	
25	मुताबिक खाना तलारशी फर्द आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री अभय चौपडा/अनिता चोपडा को दी गई उधार राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी श्री अभय चौपडा का हस्ताक्षरशुदा बैंक आफ बडौदा के खाता सं0 24590100027463 का चैक संख्या 000011 जिसमें 22,86,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। चूंकि फर्द में उक्त चैक उधार दिये गये व्यक्ति से सिक्यूरिटी पेटे लिया जाना बताया गया है इसलिये उक्त चैक भी श्री अभय चोपडा का दी गई उधार राशि के एवज मे बतौर सिक्यूरिटी लिया जाना माना गया। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है तथा उधार लेने वाले व्यक्ति को चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	22,86,000
26	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 17.04.2016 को जरिये स्टाम्प/रसीद (प्रोमिसरी नोट) श्री गोपाल चोपडा को 2,80,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री गोपाल चौपडा का हस्ताक्षरशुदा सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के खाता सं0 1906956073 का चैक संख्या 071792 जिसमें 3,00,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, उक्त चैक के साथ लगे स्टाम्प पर दिनांक 19.05.2018 को श्री गोपाल चोपडा द्वारा श्री कसाना से 2,80,000 रूपये उधार लेना तथा समय पर नहीं लौटाने सम्बंधी इबारत लिखी हुई है। जिस पर दिनांक 19.05.2018 को ही श्री कसाना द्वारा अपने हस्ताक्षर किये गये है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 2,80,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	2,80,000
27	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 15.01.2018 तथा 31.01.2018 को जरिये करार, सादे कागज पर (प्रोमिसरी नोट) श्री गोपाल चोपडा को 6,00,000 + 3,00,000 =9,00,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे तीजा चोपडा पत्नी गोपाल चोपडा का हस्ताक्षरशुदा बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 664410110000585 का चैक संख्या 088962 जिसमें 11,43,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 9,00,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की	9,00000

	जाती है।	
28	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 05.01.2018 को जरिये करार, सादे कागज पर (प्रोमिसरी नोट) श्री गोपाल चोपडा को 6,00,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे तीजा चोपडा पत्नी गोपाल चोपडा का हस्ताक्षरशुदा बैंक ऑफ इण्डिया के खाता सं0 664410110000585 का चैक संख्या 088962 जिसमें 7,62,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 6,00,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	6,00,000
29	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 15.09.2020 को जरिये इकरारनामा, सादे कागज पर (प्रोमिसरी नोट) श्री जगदीश प्रसाद चौधर/रामनारायण निठारवाल को 75,00,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे चौधरी मोहरूराम नगर के भूखण्ड के हस्ताक्षरशुदा पजेशन लेटर तथा अन्य कागजात प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 75,00,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	75,00,000
30	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 27.06.2011 को जरिये इकरारनामा (प्रोमिसरी नोट) श्री राजेन्द्र रोकाना को 2,00,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री राजेन्द्र रोकाना का हस्ताक्षरशुदा भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 30236087232 का चैक संख्या 511078 जिसमें 2,12,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 2,00,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	2,00,000
31	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 26.04.2011 को जरिये इकरारनामा (प्रोमिसरी नोट) श्री नयनसुख कसाना को 5,00,000/–रूपयें निर्धारित ब्याज दर पर उधार देना तथा सिक्यूरिटी पेटे श्री नयनसुख कसाना (प्रो0 किसान सेवा केन्द्र))का हस्ताक्षरशुदा भारतीय स्टेट बैंक के खाता सं0 61110477687 का चैक संख्या 569843 जिसमें 5,30,000/–रूपयें की राशि भरी हुई तथा अपने नाम	5,00,000

	लिखवाकर प्राप्त करना पाया गया। उक्त दस्तावेज दौराने खाना तलाशी आरोपी श्री एचआर कसाना के मकान से बरामद हुए है। उक्त दस्तावेजात पर श्री एच आर कसाना को पुनः पैसे लौटाने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, तथा चैक भी कसाना द्वारा वापस नहीं लौटाया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त उधार दी गई राशि वापस पुनः आरोपी श्री कसाना को प्राप्त नहीं हुई है। जिससे उक्त उधार दी गई राशि 5,00,000/– रूपये की गणना आरोपी के व्यय मद मे की जाती है।	
		3,76,18,411

3– परिसम्पतियों का अनुमानित लागत

क्रम संख्या	परिसम्पतियॉ	अनुमानित लागत
1	आरोपित श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नं0 बी–42, लॉट्स विला, बाढ चेला, सांगानेर, जयपुर जरिये इकरारनामा से श्री महेश कुमार जैन, निदेशक लॉट्स प्राईम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर एवं जरिये रजिस्ट्री विक्रय पत्र डा. सुशील बिन्दरू से दिनांक 05.03.2012 को 15,50,000/– रूपये में क्रय किया गया तथा पंजीयन/स्टाम्प पर 70,000 + 30335 = 1,00,335/– व्यय किया गया। आरोपी की खाना तलाशी में पाये गये उक्त प्लाट के दस्तावेजात के साथ उक्त प्लाट को क्रय करने के सम्बंध में केता तथा विकेता पक्षों के मध्य हुई डील (एग्रीमेंन्ट) से उक्त प्लाट 35.51 लाख रूपये में आरोपी द्वारा दिनांक 25.01.2012 को क्रय करना पाया गया है। इस प्रकार उक्त प्लाट को आरोपी द्वारा 35.51 लाख रूपये में क्रय करना तथा डीएलसी दर पर उक्त प्लाट की रजिस्ट्री/स्टाम्प पर आरोपी द्वारा 70,000 + 30335 = 1,00,335/–व्यय करना पाया गया। इस प्रकार आरोपी द्वारा उक्त प्लाट पर कुल 35,51,000 + 1,00,335 = 36,51,335/– रूपये व्यय करना पाया गया।	3651335
2	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट बी–42, लॉट्स विला, बाढ चेला, सांगानेर, जयपुर जरिये इकरारनामा दिनांक 02.05.2007 से निदेशक लॉट्स प्राईम एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर से 16,00000/–रूपये में क्रय किया गया तथा पंजीयन/स्टाम्प पर 27,776 + 11,200 = 38,976/– व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 16,00000+38976= 16,38,976/–रूपये होना पाया गया।	1638976
3	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट एससी–4, 160 आरएफसी सर्किल, 300 फीट गोनेर रोड की स्कीम, सिस्यावास, सांगानेर, जयपुर जयपुर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2015 से श्री शिवचरण, राजेश पुत्रान श्री जय सिंह जाति मीणा, ग्राम सिन्दूकी, तहसील महुआ, जिला दौसा से 38,00000/–रूपये में क्रय किया गया तथा पंजीयन/स्टाम्प पर 2,49,420 व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 38,00000+2,49,420= 40,49,420/–रूपये होना पाया गया।	4049420
4	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती शारदा देवी की फर्म मेसर्स लैण्डमार्क बिल्ड स्टेट, प्रा0 लि0 द्वारा फर्म आर टेक केपिटल, हाईस्ट्रीट,जयपुर से दुकान नम्बर डी– एफएफ 08 एवं डी– एफएफ 09, क्रय करने में दी गई राशि 7,86,470 (जो आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दिनांक 22.11.2018 को जेडीए जयपुर के नाम जरिये रसीद संख्या/ईचालान 606004 से स्वंय के नाम से जमा करवाई गई) उक्त आरोपी की खाना तलाशी की बिन्दु संख्या 07 के अनुसार उक्त संपति आरोपी की पत्नी श्रीमती शारदा देवी की फर्म मेसर्स लैण्डमार्क बिल्ड स्टेट, प्रा0 लि0 के नामा से दर्ज है परन्तु दस्तावेज के अवलोकन से पाया गया कि उक्त दुकानों के	786470

	क्रय के एवज में आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा 07,86,470 रूपये की रसीद/ईचालान स्वंय के नाम से जेडीए जयपुर में जमा करवाना पाया गया है।	
5	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नम्बर 1 (पूर्वी भाग), सुखीजा विहार सी, ग्राम गणपतपुरा चैक प्रथम, तहसील सांगानेर, जयपुर जरिये पट्टा विलेख दिनांक 16.11.2018 से श्री अभय चौपडा पुत्र श्री प्रहलाद नारायण चौपडा निवासी चौपडा फार्म हाउस, जयपुर से 07,60,550–रूपये में क्रय करना तथा पंजीयन/स्टाम्प ड्यूटी पर 7906+38155+38155+22594 = 1,06,810 रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 07,60,550+1,06,810 = 8,67,360/–रूपये होना पाया गया। उक्त प्लाट का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक, अष्टम, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, मानसरोवर, जयपुर से करवाया जाना पाया गया है।	867360
6	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नम्बर 1 (पश्चिमी भाग), सुखीजा विहार सी, ग्राम गणपतपुरा चैक प्रथम, तहसील सांगानेर, जयपुर जरिये इकरार नामा दिनांक 13.04.1999 से श्री अभय चौपडा पुत्र श्री प्रहलाद नारायण चौपडा निवासी चौपडा फार्म हाउस, जयपुर से 76,000/–रूपये में क्रय करना स्टाम्प शुल्क 100/– रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 76,100/–रूपये होना पाया गया।	76100
7	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा श्री महेश कुमार जैन से एक गाड़ी ऑडी क्यू 5, रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 14 एलसी 5566 क्रय करना पाया गया है। उक्त गाड़ी प्रकरण संख्या 300/2021 में दौराने आकस्मिक चैकिंग आरोपी के कब्जे से बरामद की गई है। जिसमें गाड़ी की अनुमानित कीमत 20,00000/–रूपये मानी गई है।	2000000
8	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नम्बर 2 सुखीजा विहार सी, ग्राम मान्यावास, जयपुर जरिये इकरार नामा दिनांक 31.05.1999 से निशा चौपडा पुत्री श्री गोपाल चौपडा निवासी गणपतपुरा, सांगानेर, जयपुर से 71,000/–रूपये में क्रय करना स्टाम्प शुल्क 100/– रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 71,100/–रूपये होना पाया गया।	71100
9	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नम्बर 36, दक्षिण विस्तार योजना, ग्राम अजयराजपुरा एवं मथुरावाला, तहसील सांगांनेर, जयपुर जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.09.2019 श्री विरगो बिल्डस्टेट प्रा0लि0 से 31,50,000/– में क्रय किया गया तथा पंजीयन/स्टाम्प/ईचालान पर 2,20,800 रूपये व्यय किया गया। इस प्रकार कुल खर्च 31,5,0,000+2,20,800 = 33,70,800/–रूपये होना पाया गया। उक्त प्लाट की खाना तलाशी आरोपी के समक्ष ली गई। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट को दर्शाया गया है।	3370800
10	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा खसरा नम्बर 188/02, रामपुरा, जयपुर द्वारा जरिये रजिस्ट्री दिनांक 31.03.2020 श्री पंडित जी केयर ऑफ श्री जगदीश निठारवाल से क्रय किया गया है। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 18,00000/–रूपये दर्शाई गई है।	1800000
11	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट 160 फीट रोड़, जगतपुरा, जयपुर जरिये रजिस्ट्री दिनांक 23.07.2015 श्री मीणा जी केयर ऑफ श्री गंगाराम चौधरी से क्रय किया गया है। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 52,00000/–रूपये दर्शाई गई है।	5200000
12	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा गांव मालाहेड़ा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर में कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 11.04.2011 श्री चौधरी जी से क्रय की गई। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 32,00000/–रूपये दर्शाई गई है।	3200000

13	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा गांव मालाहेड़ा, तहसील कोटपुतली, जिला जयपुर में कृषि भूमि जरिये रजिस्ट्री दिनांक 16.11.2009 श्री कुमावत जी से कय की गई। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 45,00000/–रूपये दर्शाई गई है।	4500000
14	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा प्लाट नम्बर 09, जेवियर आर्कड, जगतपुरा, जयपुर जरिये रजिस्ट्री दिनांक 03.03.2006 पिंकसीटी डवलपर्स से कय की गई। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 28,00000/–रूपये दर्शाई गई है।	2800000
15	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा एक प्लाट कोटपुतली जयपुर में जरिये इकरारनामा दिनांक 05.06.2004 श्री भूराणी जी सैनी से कय किया गया। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 3,00,000/–रूपये दर्शाई गई है।	300000
16	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा एक प्लाट कल्पना नगर, आगरा रोड़, जयपुर में जरिये रजिस्ट्री दिनांक 26.11.1997 जेडीए जयपुर से कय किया गया। आरोपी द्वारा अपने विभाग के स्थावर संपति विवरण (आईपीआर) में उक्त प्लाट/जमीन की अनुमानित कीमत 11,00,000/–रूपये दर्शाई गई है।	1100000
17	आरोपी श्री एचआर कसाना द्वारा दौराने खाना तलाशी प्लाट नम्बर 06, दुर्गाविहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर वर्ष 1998 में 80,000/–रूपयें में कय करना बताया गया।	80000
18	आरोपी श्री एचआर कसाना के रिहायसी मकान विला नम्बर 36, साउथ एक्स, टोंक रोड़ शिवदासपुरा, जयपुर की खाना तलाशी में नगद मिली राशि 39,42,640/–रूपयें, जिसमें से 20,640 रूपये घर खर्च हेतु वापस लौटाये गए एवं 39,22,000/–रूपयें संदिग्ध मानते हुए कब्जा एसीबी लिए गए।	3942640
19	प्रकरण सं. 300/2021 में आरोपित की आकस्मिक चैकिंग के दौरान आरोपी के निवास से 10,000/– रूपये नगद प्राप्त होना पाया गया है। अतः उक्त राशि 10,000/– रूपये की गणना आरोपित की सम्पति में की जाती है।	10000
		3,94,44,101

दौराने खाना तलाशी आरोपी द्वारा अपने पुत्र–पुत्रीयों तथा पत्नी का साथ में रहना नहीं बताया गया है इसलिये आरोपित के पुत्र, पुत्रीयों तथा पत्नी द्वारा अर्जित परिसम्पतियों एवं व्यय को नहीं दर्शाया गया है। दौराने खाना तलाशी आरोपित के निवास से लागों के विभिन्न बैंकों के राशि भरे हुये चैक्स मय विभिन्न लोगों के इकरारनामा/शपथ पत्र (प्रोमिसरी नोट) के साथ प्राप्त हुये है। जिनमें प्रमुख रूप से आरोपित अधिकारी के पिता श्री जयमल राम कसाना के नाम से लोगों के हस्ताक्षरशुदा विभिन्न बैंकों के चैक्स/उधार गई राशि के सम्बंध में शपथ पत्र (प्रोमिसरी नोट) प्राप्त हुये है। चूंकि आरोपित अधिकारी अपने परिवार से अलग रहता है। इसलिये उक्त चैक्स में भरी हुई राशि आरोपित अधिकारी की आय/व्यय में दर्शायें नहीं गये है परन्तु श्री जयमल राम कसाना को उक्त आय/व्यय की गई राशि कहां से प्राप्त हुई यह अनुसंधान का विषय है। इसी प्रकार खाना तलाशी के दौरान श्रीमती शारदा कसाना, श्री अभिमन्यु कसाना, श्री मदन लाल गुर्जर–प्रधान खेतडी, श्री किशोर सिंह पुत्र सुगनाराम आदि व्यक्तियों के नाम विभिन्न लोगों को उधार में रूपये देने सम्बंधी इकरारनामे/शपथ पत्र (प्रोमिसरी नोट) के साथ सम्बंधित लोगों के हस्ताक्षरशुदा चैक्स (जिनमें राशि भरी हुई) प्राप्त हुये है। उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से श्रीमती शारदा कसाना, श्री अभिमन्यु कसाना, श्री मदन लाल गुर्जर–प्रधान खेतडी, श्री किशोर सिंह पुत्र सुगनाराम आदि व्यक्तियों द्वारा लोगों का उधार दी गई राशि अत्यधिक प्रतीत होती है। अब तक की जांच से आरोपित अधिकारी के पिता श्री जयमलराम कसाना, श्रीमती शारदा कसाना, श्री अभिमन्यु कसाना, श्री मदन लाल गुर्जर–प्रधान खेतडी, श्री किशोर सिंह पुत्र सुगनाराम आदि व्यक्तियों द्वारा लोगों को दी गई उधार राशि सम्भवतया उनकी आय से अधिक है तथा उस पर भी अवैध तरिके से ब्याज के जरिये आय प्राप्त करना पाया गया है जो संदिग्ध होने से प्रथम दृष्टया उन व्यक्तियों की अघोषित आय प्रतीत होती है। जिस पर विस्तृत अनुसंधान की आवश्यकता है।

आरोपित अधिकारी के विभाग से प्राप्त आयकर प्रतिवेदन तथा सम्पति सूची प्रतिवेदन से आरोपित द्वारा स्वयं को किसी प्रकार की अन्य आय प्राप्त होना नहीं दर्शाया गया है। (केवल सम्पति सूची में दर्शाये अनुसार को

छोडकर) परन्तु खाना तलाशी में प्राप्त दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि आरोपित अधिकारी द्वारा अपने परिचितों तथा अन्य लोगों को निर्धारित ब्याज दर पर राशि उधार देना तथा उधार दी गई राशि के एवज में बतौर सिक्यूरिटी पेटे स्थावर सम्पति/अण्डरटेकिंग/शपथ पत्र (प्रोमिसरी नोट) प्राप्त किये है। उक्त के सम्बंध में आरोपित अधिकारी के पास किसी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र होना नहीं पाया गया है, ना ही आरोपित अधिकारी द्वारा इस सम्बंध में अपने विभाग को सूचित करना पाया गया है तथा आरोपित अधिकारी द्वारा अपने आयकर प्रतिवेदन में भी इस प्रकार की आय प्राप्त करना दर्शाया नहीं गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपित अधिकारी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का उल्लंघन करना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। इस प्रकार आरोपी द्वारा उक्त प्रकार से अर्जित आय/परिसम्पति की सूचना विभाग को नहीं दिए जाने पर विभागीय सेवा नियमों की पालना नहीं करना पाया गया है।

आरोपी श्री हंसराम कसाना (एच.आर. कसाना) पुत्र श्री जयमल कसाना तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर का चैक पिरियड उनकी राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल, राज. जयपुर में उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि दिनांक 21.08.1991 से 29.07.2021 तक का माना गया है।

अतः आरोपी श्री हंसराम कसाना (एच.आर. कसाना) पुत्र श्री जयमल कसाना तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर द्वारा सेवाकाल में अर्जित परिसम्पतियॉ व व्यय 39444101 + 37618411 = 77062512 रूपये में से वैध आय 14582152 रूपये को घटाने पर 77062512 – 14582152 = 62480360 रूपये की परिसम्पतियां वैध आय से अधिक है। अतः आरोपी श्री हंसराज कसाना द्वारा चल–अचल परिसम्पत्तियां वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक अर्जित करना पाया गया है जो आनुपातिक रूप से 428.47 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों से श्री हंसराम कसाना (एच.आर. कसाना) पुत्र श्री जयमल कसाना निवासी– प्लाट नं. 06, दुर्गा विहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर हाल– विला नम्बर 36, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध ज्ञात वैध आय से अधिक परिसम्पत्ति अर्जित करने का कृत्य अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट 1988 व 13(1)(बी) सपठित धारा 13(2) पीसी एक्ट (संशोधित) 2018 के तहत अपराध घटित होना पाया गया है। अतः बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(सचिन)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सचिन, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2)भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में आरोपी श्री हसंराम कसाना(एचआर कसाना) पुत्र श्री जयमल कसाना निवासी प्लाट नं. 06, दुर्गा विहार, प्रधान मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर, विला नम्बर 36, साउथ एक्स टोंक रोड नियर रिंग रोड शिवदासपुरा जयपुर तत्कालीन क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 43/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

15.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 409-13 दिनांक 15.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.आई.यू., जयपुर।

15.2.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।